

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज - विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधरी (पूर्व), मुंबई - 400 096

फा.सं.सीपज-सेज/सीमा शुल्क/एस/1/सॉफ्टवेक्स/7/2016-17

दिनांक 05.12.2016

कार्यालय आदेश संख्या 239/2016

विषय: आइटी यूनितों द्वारा फाइल सॉफ्टवेक्स की जांच संबंधी प्रक्रिया ।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मार्च, 2015 के कार्यालय आदेश संख्या 239/2015 सहित सभी आदेशों / अनुदेशों को अधिक्रांत करते हुए विकास आयुक्त, सीपज-सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों द्वारा सॉफ्टवेक्स फॉर्मों की जांच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

- 1) निर्धारित फॉर्मेट में सॉफ्टवेक्स फॉर्म फाइल करने वाले यूनितों के लिए किसी प्रकार का समर्थक प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-नर्देशों के अनुसार ऐसे सभी मामले सॉफ्टवेक्स फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर बिना किसी समर्थक दस्तावेज के निपटाए जाएंगे ।
- 2) यूनितों द्वारा फाइल सॉफ्टवेक्स फॉर्मों में से 5% प्रतिशत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का विकास आयुक्त, सीपज-सेज के कार्यालय द्वारा चयन किया जाएगा जिसकी संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध होगी । चयन किए गए ऐसे लेन देन संबंधी संव्यवहारों के लिए अधिकारियों द्वारा जांच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जाएंगे:-
 - (क) कसर / क्रय आदेश / कार्य आदेश / कार्य के विवरण की प्रतिलिपि ।
 - (ख) संविदा का सार ।
 - (ग) प्राधिकृत इंटरनेट सेवा प्रदाता का संगत डाटाकॉम बिल ।
 - (घ) सॉफ्टवेक्स फॉर्म (दो प्रतियां में)आवश्यकता होने पर विनिर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति से अन्य कोई स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है ।
- 3) जांच पूरी हो जाने के पश्चात मामले विकास आयुक्त कार्यालय, सीपज-सेज को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे तथा इसके पश्चात ऐसे सॉफ्टवेक्स फॉर्मों को प्रमाणित किया जाएगा तथा इन्हें आरबीआइ को ऑनलाइन भेजा जाएगा ।
- 4) यदि अधिकारी के ध्यान में ऐसी कोई सूचना आती है कि यूनित द्वारा कोई संदिग्ध लेन-देन किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में विकास आयुक्त, सीपज-सेज के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामलों की भी जांच की जा सकती है ।
- 5) ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित 5% जांच के मामलों में सीपज-सेज निरीक्षण एजेन्सी (एसआइए) सीपज-सेज द्वारा समन्वय का कार्य किया जाएगा ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज - सेज, मुंबई

प्रति:

1. विकास आयुक्त, सीपज-सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले सभी सेज आइटी यूनित
2. विकास आयुक्त, सीपज-सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी / वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी
3. कार्यालय आदेश फाइल
4. कार्यालय आदेश रजिस्टर

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपूज - विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधरी (पूर्व), मुंबई - 400 096

फा.सं.सीपूज-सेज/सीमा शुल्क/एस/1/सॉफ्टवेक्स/7/2016-17

दिनांक 05.12.2016

सार्वजनिक सूचना संख्या 29/2016

विषय: आइटी यूनितों द्वारा फाइल सॉफ्टवेक्स की जांच संबंधी प्रक्रिया।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 05.11.2015 के परिपत्र संख्या 27/2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 06 मार्च, 2013 के पत्र संख्या जी2/1/2012-सेज द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सभी आइटी यूनितों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है:-

- 1) सभी आइटी यूनित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में सेज ऑनलाइन सिस्टम के जरिए समय-समय पर सॉफ्टवेक्स फाइल करेंगे। इस स्तर पर किसी समर्थक दस्तावेजी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है।
- 2) यूनितों द्वारा फाइल सभी सॉफ्टवेक्स में से 5% सॉफ्टवेक्सों का विकास आयुक्त कार्यालय, सीपूज-सेज द्वारा चयन किया जाएगा जिनके लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी / वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं:-
 - (क) करार / क्रय आदेश / कार्य आदेश / कार्य के विवरण की प्रतिलिपि।
 - (ख) सविदा का सार।
 - (ग) प्राधिकृत इंटरनेट सेवाप्रदाता का संगत डाटाफॉर्म बिल।
 - (घ) सॉफ्टवेक्स फॉर्म (दो प्रतियां में)यदि इस संबंध में, और कोई कमी पाई जाती है अथवा कोई स्पष्टीकरण मांगाया जाना आवश्यक होता है, तो संबंधित अधिकारी को यह भेजा जाना आवश्यक होगा।

Sam

(विजय प्रकाश शुक्ल)

संयुक्त विकास आयुक्त

सीपूज - सेज, मुंबई

प्रति

1. विकास आयुक्त, सीपूज-सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले सभी सेज आइटी यूनित
2. विकास आयुक्त, सीपूज-सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी / वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी
3. सभी सूचना पट्ट
4. आइटी अनुभाग - सीपूज वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

**OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVT. OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.**

F.No. SEEPZ-SEZ/Customs/S/1/Softex/77/2016-17

Date : 05.12.2016

OFFICE ORDER NO. 239/2016

Sub: Procedure for scrutiny of Softex filed by IT Units.

In supersession of all Orders / Instructions on the above subject including Office Order No. 239/2015, dated 27th March, 2015, the following procedure will be followed by all offices under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ - SEZ, for scrutiny of Softex forms:-

- 1) Units filing Softex forms in the prescribed format will not be required to submit any supporting evidence. All such cases shall be cleared on the basis of information provided on the Softex forms without any supporting evidence, in accordance with RBI guidelines issued from time to time.
- 2) 5% of the Softex forms filed by the Unit will be selected by the Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ for which information will be available with the concerned Officer online. For such selected transactions, the following documents will be called for by the officers for scrutiny:-
 - (a) Copy of Agreement/PO/WO/SOW
 - (b) Gist of contract
 - (c) Relevant Data com Bill of Authorised Internet Service Provider
 - (d) Softex forms (in duplicate)

Any further clarification can also be called for, if the need arises, with the permission of the Specified Officer.

- 3) After completing the scrutiny, the cases will be forwarded to the Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, for final approval and thereafter such Softex forms will be certified and forwarded to the RBI online.
- 4) In case any information comes to the notice of the Officer that suspicious transactions are being made by the Unit then such transactions can also be investigated with the prior approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.
- 5) 5% scrutiny as referred in para 2 will be coordinated by the Officers of SEEPZ-SEZ Inspection Agency (SIA), SEEPZ-SEZ.



(V.P. Shukla)
Joint Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ, Mumbai.

- Copy to :
- (i) All Specified Officers under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.
 - (ii) All Specified Officers/Sr. Authorized Officers/ Authorized Officers under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.
 - (iii) Office Order File.
 - (iv) Office Order Register.

**OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVT. OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.**

F.No. SEEPZ-SEZ/Customs/S/1/Softex/77/2016-17

Date : 05.12.2016

PUBLIC NOTICE NO. 29/2016

Sub: Procedure for scrutiny of Softex filed by IT Units.

In pursuance of guidelines issued by RBI vide Circular No. 27/2015 dated 5.11.2015 and instructions issued by Ministry of Commerce & Industry vide letter No. G2/1/2012-SEZ dated 6th March, 2013, the following procedure is required to be followed by all IT Units:-

- 1) All IT Units will file Softex from time to time on the SEZ online system in the format prescribed by the RBI. No supporting documentary evidence is required at this stage.
- 2) From all the Softex filed by the Units, 5% of Softex would be selected by the Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, for which the following documents will be required to be submitted to the Specified Officer /Sr. Authorised Officer :-
 - (a) Copy of Agreement/PO/WO/SOW
 - (b) Gist of contract
 - (c) Relevant Data com Bill of Authorised Internet Service Provider
 - (d) Softex forms (in duplicate)In case of any deficiency or further clarification, the same is also required to be submitted to the concerned Officer.


(V.P. Shukla)

Joint Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ, Mumbai.

Copy to :

- (i) All SEZ IT Units under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.
- (ii) All Specified Officers/Sr. Authorized Officers/Authorized Officers under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ SEZ.
- (iii) All Notice Boards.
- (iv) IT Section – for uploading on SEEPZ web site.